

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2009—आषाढ़ 6, शक 1931

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2009

क्र. एफ 1-7-2008-बयालीस (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 है;

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
- (ख) “समिति” से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति;
- (ग) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक, संचालनालय प्रशिक्षण, मध्यप्रदेश;
- (घ) “परीक्षक” से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षक;
- (ङ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (च) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

- (छ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.
- (ज) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो.
- (ञ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो.
- (ट) “सेवा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा;
- (ठ) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

3. **विस्तार तथा लागू होना** .—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन** .—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हैं.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** .—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका**—

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षत्कार द्वारा या दोनों द्वारा;
- (ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूलतः धारण करते हैं, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के उस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी जो अनुसूची-दो में दर्शायी गयी है.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्ययन करते हुये, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये, ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जैसा कि इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा, विहित किया जाए.

7. **सेवा में नियुक्ति.** —इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.** —चयन/परीक्ष में सक्षम होने के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु—**

(क) (एक) उसने परीक्ष/चयन होने की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(दो) सेवा या पद पर कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा यदि वह विवाह के लिये नियत आयु पूरी करने से पूर्व विवाह करता है.

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना-कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण. —पद “छटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है. ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया है.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्ष सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण. —पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये गये जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था :—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसको सेवानिवृत्ति रियायती (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो :—

- (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण होने पर;
- (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवान्मुक्त किया गया हो.

- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं), उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों,
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

- (घ) विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ङ) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत संवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा, पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (झ) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुये शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये;
- (ञ) निःशक्त अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये अनुसार शिथिलनीय होगी;
- (ट) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

टिप्पण.—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त उप नियम 14(1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले या उसके बाद, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं होगी.

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट की गई सेवा की विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए.

परन्तु :—

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में, विभागीय समिति की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हमान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी के विचारण को न्याय संगत ठहराता हो; और
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि ली हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिये भी विचार किया जा सकेगा.
- (3) फीस.—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता. —

- (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये निश्चित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो. जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.

- (4) कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति/पदोन्नति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा. —किसी अभ्यर्थी की परीक्षा/चयन के लिये पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया हो, परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपसंजात होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती—

- (1) सेवा में भर्ती के लिये परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.
- (2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हैं, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दस्ता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुये समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- (7) मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार/निदेशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।
- (9) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएगी और रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये अगले चयन के लिये आरक्षित रखी जाएगी।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची. —

- (1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे और ऐसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दस्ता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा। जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) चयन समिति द्वारा जारी चयन सूची, उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति. —

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये चयन करने हेतु अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी :

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

- (2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन-नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट करे किन्तु सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक में ही होगी.

15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें. —

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुये, समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जानी है, या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण. —पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की राति—संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलैण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के बाग/पद के वेतनमान में आता है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से विचार नहीं किया जायेगा.

(2) पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना .—

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गये हों. यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए एक आरक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये प्रस्तावित की जाएगी.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण. —ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चात्पूर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों का लेखबद्ध करेगी.

17. चयन सूची. —

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तब कि वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हो.

- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लेखित किये गये पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित किये गये पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी। किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किये गये किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.** —चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में आए हों।

19. **परिवीक्षा.**—सेवा में पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

20. **निर्वचन.** —यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण .**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले जिसे ये नियम लागू होते हैं। राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्ष उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.** —मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची “एक”

(नियम 5 देखिये)

मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009

अनुक्रमांक	पदों का नाम संचालनालय +आदिम जाति+गैस	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी और तकनीकी संवर्ग					
1	अधीक्षक (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)/प्रशिक्षण अधीक्षक/कनिष्ठ शिक्षता सलाहकार/संस्थान प्रमुख/मिलरार्डट फोरमेन/संचालनालय हेतु तकनीकी सहायक.	223	तृतीय श्रेणी	रु. 5500—175—9000	अतिरिक्त संचालक संचालनालय प्रशिक्षण, मध्यप्रदेश
2	प्रशिक्षण अधिकारी (स्टेनो) हिन्दी एवं अंग्रेजी	88	तृतीय श्रेणी	रु. 5500—175—9000	संयुक्त संचालक संचालनालय प्रशिक्षण/संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा) हिन्दी एवं अंग्रेजी	77	तृतीय श्रेणी	रु. 5000—150—8000	संयुक्त संचालक संचालनालय प्रशिक्षण/संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश.
4	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यापार प्रबंधन)	02	तृतीय श्रेणी	रु. 5000—150—8000	—तदैव—
5	प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राईंग, गणित तथा अलाईड).	568+1099 =1667	तृतीय श्रेणी	रु. 5000—150—8000	—तदैव—
6	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन)	34	तृतीय श्रेणी	रु. 5000—150—8000	—तदैव—
7	मेटेनेंस मैकेनिक	16	तृतीय श्रेणी	रु. 3500—80—4700— 100—5200	—तदैव—
8	सिनेमा विडियो आपरेटर (व्ही. डी. ओ.)	01	तृतीय श्रेणी	रु. 4000—100—6000	—तदैव—
अलिपिकीय संवर्ग					
9	छात्रावास अधीक्षक सह शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षण अनुदेशक.	18	तृतीय श्रेणी	रु. 4000—100—6000	—तदैव—
10	वाहन चालक	42	तृतीय श्रेणी	रु. 3050—75—3950— 80—4590.	—तदैव—
11	औषधि संयोजक (कम्पाउडर)	59	तृतीय श्रेणी	रु. 3050—75—3950— 80—4590.	—तदैव—
12	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	23	तृतीय श्रेणी	रु. 2750—70—3800— 75—4400.	—तदैव—
लिपिक वर्गीय संवर्ग					
13	अधीक्षक/कनिष्ठ लेखाधिकारी (संचालनालय/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)	05	तृतीय श्रेणी	रु. 5500—175—9000	अतिरिक्त संचालक संचालनालय प्रशिक्षण मध्यप्रदेश.
14	शीघ्रलेखक	10	तृतीय श्रेणी	रु. 4500—125—7000	संयुक्त संचालक संचालनालय प्रशिक्षण/संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश.
15	सहायक अधीक्षक/कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ अंकेक्षक (संचालनालय/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान).	17	तृतीय श्रेणी	रु. 4500—125—7000	—तदैव—
16	सहायक वर्ग-1/मुख्य लिपिक	72	तृतीय श्रेणी	रु. 4500—125—7000	—तदैव—
17	सहायक वर्ग-2/लेखापाल/अंकेक्षक/भण्डारी (स्टोर कीपर)	306	तृतीय श्रेणी	रु. 4000—100—6000	—तदैव—
18	सहायक वर्ग-3	253	तृतीय श्रेणी	रु. 3050—75—3950— 80—4590.	—तदैव—
19	स्टेनो टायपिस्ट	10	तृतीय श्रेणी	रु. 3050—75—3950— 80—4590+125 रु. विशेष वेतन	—तदैव—

अनुसूची "दो"

(नियम 6 देखिये)

मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या		अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा नियम (6) (ख) (6) (1) (ग) देखिये.	अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा नियम (क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम (6) (ख) (6) (1) (ग) देखिये.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी गैर तकनीकी संवर्ग						
1	अधीक्षक (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)/प्रशिक्षण अधीक्षण/कनिष्ठ शिक्षता सलाहकार/संस्थान प्रमुख/मिलराईट फोरमेन/संचालनालय हेतु तकनीकी सहायक.	223	-	75+25* प्रतिशत	-	कृपया पाद टिप्पण 1 से 3 देखें.
2	प्रशिक्षण अधिकारी (स्टेनो) हिन्दी एवं अंग्रेजी	88	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग (सिंगल केडर)
3	प्रशिक्षण अधिकारी भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	77	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग
4	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यापार प्रबंधन)	02	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग
5	प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड, ड्राईंग, गणित, अलाईड).	568+1099 =1667	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	-	
6	प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन	34	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग
7	सिनेमा विडियो आपरेटर (व्ही. डी. ओ.)	01	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग
8	मैटेनेंस मैकेनिक	16	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग
9	छात्रावास अधीक्षक सह शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षण अनुदेशक.	18	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग
10	वाहन चालक	42	100 प्रतिशत	-	-	एकांगी प्रवर्ग
11	औषधि संयोजक (कम्पाउंडर)	59	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	
12	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	23	100 प्रतिशत	-	-	
13	अधीक्षक/कनिष्ठ लेखाधिकारी (संचालनालय/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान).	05	-	100 प्रतिशत	-	
14	शीघ्रलेखक	10	-	100 प्रतिशत	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	सहायक अधीक्षक/कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ अंकेक्षक (आडीटर).	17	-	100 प्रतिशत	-	
16	सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक	72	-	100 प्रतिशत	-	
17	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल/अंकेक्षक/भण्डारी (स्टोर कीपर).	306	-	100 प्रतिशत	-	
18	सहायक ग्रेड-तीन	253	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	25 प्रतिशत उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो हायर सेकेण्डरी (10+2) या 11वीं परीक्षा या उसके समतुल्य कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिन्हें 5 वर्ष के कार्य का अनुभव हो.
19	स्टेनो टायपिस्ट	10	100 प्रतिशत	-	-	-

पाद टिप्पण.—

- (1) *प्रशिक्षण अधीक्षक के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति ऐसे प्रशिक्षण अधिकारियों (ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, गणित, अलाईड) से भरे जा सकेंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त किया हो तथा फीडर संवर्ग में पांच वर्षों का अनुभव हो.
- (2) उस दशा में यदि स. क्र. 1 के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो रिक्तियां फिडिंग कॉडर की वरिष्ठता सूची से गैर डिप्लोमा/गैर डिग्री (उपाधि) धारकों से भरी जा सकेंगी. इसी प्रकार यदि डिप्लोमा/डिग्री (उपाधि) धारक अभ्यर्थी की संख्या, भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या से अधिक है तो शेष अभ्यर्थियों को फिडिंग कॉडर की संयुक्त वरिष्ठतानुसार सूची से गैर डिप्लोमा/गैर डिग्री (उपाधि) धारक अभ्यर्थियों के साथ पदोन्नत किया जा सकेगा.
- (3) पदोन्नत प्रशिक्षण अधीक्षक की वरिष्ठता फिडिंग कॉडर की वरिष्ठता अनुसार होगी.

अनुसूची “तीन”

(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009

अनुक्रमांक	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1 प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, गणित)

- | | | | |
|---|-----------|-----------|---|
| <p>(1) ड्राफ्ट्समेन मेकेनिकल, टूल एण्ड डाई मेकर, फिटर, मशीनिष्ट (ग्राइंडर), मशीनिष्ट (कम्पोजिट) पेटर्न मेकर, टर्नर, ब्लेक स्मिथी (फोर्जर हीट ट्रीटर), कारपेंटर, मोल्डर, शीट मेटल, वेल्डर.</p> | <p>18</p> | <p>35</p> | <p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष
2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त</p> |
|---|-----------|-----------|---|

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>विश्वविद्यालय/बोर्ड से मेकेनिकल, प्रोडक्शन तथा मेन्युफेक्चरिंग इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
	(2) ड्राफ्ट्समेन सिविल, सर्वेयर, मेसन (भवन निर्माता), 18 पेंटर जनरल, प्लंबर, बिल्डिंग मेन्टेनेंस, सेनेटरी हार्डवेयरफिटर.	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय ट्रेड प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
	(3) इलेक्ट्रिशियन, वायरमेन, इलेक्ट्रोप्लेटर	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
	(4) फार्म मेकेनिक, मेकेनिक (मोटर व्हीकल), मेकेनिक (डीजल), मेकेनिक, (ट्रेक्टर), मेकेनिक, कृषि मशीनरी, ड्राइवर-सह-मेकेनिक.	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p> <p>4. हल्के मोटर व्हीकल का लाईसेंस अनिवार्य है.</p>
	(5) इलेक्ट्रानिक्स मेकेनिक, रेडिया तथा टी. व्ही. मेकेनिक.	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(6) रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनर मेकेनिक.		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से रेफ्रिजरेशन तथा एयर कण्डीशनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(7) इंस्ट्रुमेन्ट मेकेनिक, वाच एवं क्लॉक रिपेयर, मेकेनिक मशीन टूल मेन्टेनेंस.		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंस्ट्रुमेन्टेशन/इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(8) मेकेनिक आटो इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक्स.		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(9) मेकॉट्रानिक्स		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मेकॉट्रानिक्स में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(10)	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एंड इलेक्ट्रानिक सिस्टम मेटेनेंस.	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(11)	मेकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/इंस्ट्रूमेन्टेशन में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(12)	आपरेटर एडवांस मशीन एवं टूल्स	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से टूल एवं डाई मेकिंग/मेकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(13)	लिफ्ट मेकेनिक	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(14) आर्किटेक्चरल असिस्टेंट		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(15) प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्लास्टिक टेक्नालॉजी में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(16) कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), डेस्कटाप पब्लिशर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर बेसिक कम्प्यूटर (इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर), बेसिक कम्प्यूटर ऑपरेटिंग स्किल एंड आई. टी. एस. एप्लीकेशन (इलेक्ट्रिशियन सेक्टर).		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए या डी. ओ. ई. से "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बी. सी. ए. होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी के पास डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा धारक का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अन्य अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(17)	मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर	18	35	<p>1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस या कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूनिकेशन या इस्ट्रुमेन्टेशन में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(18)	कटिंग एण्ड स्वीइंग, ड्रेस मेकिंग	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कास्ट्यूम डिजाईन तथा ड्रेस मेकिंग/गारमेन्ट टेक्नालॉजी से डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(19)	हास्पिटल हाउस कीपिंग	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से पब्लिक हेल्थ/बायो साइंस/फिजियोलॉजी/नर्सिंग विषय में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(20)	कार्पोरेट हाउस कीपिंग, इस्टीमेशन हाउस कीपिंग, डोमेस्टिक हाउस कीपिंग	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से होटल मेनेजमेन्ट में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(21)	डेरिंग	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से डेयरी टेक्नालॉजी/वेटनरी साइंस तथा एनीमल हस्बैंडरी में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(22)	टूरिस्ट गाईड	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से टूरिज्म में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(23)	हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से लोक स्वास्थ्य/बायो साइंस में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(24)	डेन्टल लेबोरेटरी टेक्नीशियन	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से डेन्टल में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(25)	मेडीकल ट्रांस्क्रिप्शन	18	35	<p>1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 के अन्तर्गत बायोलॉजी विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(26)	हार्तिकल्चर, फ्लोरिष्ट तथा लैण्ड स्कैपिंग	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से हार्तिकल्चर आर्टिकूलेट या एग्रीकल्चर में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(27)	लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(28)	ओल्ड एज केयर	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से फिजियोलॉजी/नर्सिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(29)	नेटवर्क टेक्निशियन	18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(30) क्रेसे मेनेजमेन्ट		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मानटेसरी ट्रेनिंग/सोशल साइंस में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(31) डिजिटल फोटोग्राफर		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. संबंधित ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक परिषद् से अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण या राष्ट्रीय शिक्षता परीक्षा उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से फोटोग्राफी में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(32) फेशन टेक्नोलॉजी		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से फेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(33) फ्रन्ट ऑफिस असिस्टेन्ट		18	35	<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से होटल मैनेजमेन्ट में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(34) इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइनिंग	18	35		<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से सिविल/आर्किटेक्चरल असिस्टेंट/इंटीरियर में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(35) लेदर गुडस मेकर	18	35		<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबंधित ट्रेड में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(36) सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस	18	35		<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(37) प्रिंटिंग टेक्नीशियन/लीथो आफसेट मशीन माइंडर.	18	35		<p>1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्रिंटिंग टेक्नालॉजी में डिग्री (उपाधि)/ डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>3. अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.</p>
(38)	रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर ऑफ कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स. (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स इलेक्ट्रानिक्स टेली कम्प्यूनिकेशन/इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री (उपाधि)या डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक).</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 02 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 04 वर्ष का अध्यापन/ औद्योगिक अनुभव.</p>
(39)	कम्प्यूटर नेटवर्किंग मल्टीमिडिया तथा वेब पेज डिजाइनिंग (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में बी. ई./बी. टेक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक).</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 02 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 04 वर्ष का अध्यापन/ औद्योगिक अनुभव अनिवार्य.</p>
(40)	बेसिक ऑफिस आटोमेशन (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस या इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में बी. ई./बी. टेक या डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) या एम. सी. ए.</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा धारकों के लिये 04 वर्ष एवं अन्य के लिये 02 वर्ष अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.</p>
(41)	फ्रूट एंड वेजीटेबल प्रोसेसिंग, बेकरी एंड कन्फेशनरी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस फ्रूड (फ्रूड प्रोसेसिंग सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से फ्रूड प्रोसेसिंग/ फ्रूड टेक्नालॉजी में एम. एस. सी. अथवा फ्रूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी में बी. टेक या डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक).</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) /एम. एस. सी. धारकों के लिये 02 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 04 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.</p>
(42)	सर्विसिंग एंड ओव्हरहॉलिंग ऑफ आटोमोबाइल्स (डीजल) ओव्हरहॉलिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एण्ड स्टीयरिंग आटो इलेक्ट्रीकल एंड एयर कंडिशनिंग इन आटोमोबाइल्स (आटोमोबाइल सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक).</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 02 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 04 वर्ष का अध्यापन/ औद्योगिक अनुभव.</p>
(43)	बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन सस्पेंशन स्टेरिंग	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सिस्टम एण्ड ब्रेकस् (आटोमोबाइल सेक्टर).			इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) या मान्यता प्राप्त . विश्वविद्यालय या बोर्ड से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 02 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 04 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(44)	बेसिक माइक्रोप्रोसेसर एंड कम्प्यूटर आपरेशन (आटोमोबाइल सेक्टर)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स टेली कम्प्यूनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स टेली कम्प्यूनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(45)	कम्प्यूटर एडेड पेटर्न मेकिंग फैशन टेक्नालॉजी, शर्ट्स एंड टाउजर्स (एपरेल सेक्टर)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड में डिग्री (उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(46)	इन्वर्टर्स, यू. पी. एस. वोल्टेज स्टेबलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल ड्राईव्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड पी. एल. सी. बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रानिक्स, पेरामेबोलिक डिजीटल इलेक्ट्रानिक्स (इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स टेली कम्प्यूनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(47)	रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, हार्वेस्टिंग मशीन रिपेयर मेंटेनेंस एंड ओव्हर हॉलिंग ऑफ ट्रेक्टर, रिपेयर मेन्टेनेन्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग मशीन प्रोसेसिंग मशीन (एग्रीकल्चर सेक्टर)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(48)	कॉन्क्रीट टेक्नालॉजी मेन्युफेक्चरिंग वुडवर्क इन कंस्ट्रक्शन, फार्म वर्क एंड बार बेडिंग (कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग).	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(49) बेसिक आर्किटेक्चर (कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) अथवा आर्किटेक्चर में डिप्लोमा.</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष का एवं डिप्लोमाधारी के लिये 4 वर्ष का औद्योगिक/अध्यापन अनुभव.</p>	
(50) डोमेस्टिक कमर्शियल रेफ्रीजरेशन एंड एयर कण्डिशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, कूलिंग एंड पेकेज, कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट, बेसिक रेफ्रीजरेशन III, बेसिक रेफ्रीजरेशन IV (रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग/मैकेनिकल में डिप्लोमा.</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमाधारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.</p>	
(51) आपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्वूपमेंट यूस्ड इन सबस्टेशन एंड केबल ज्वाइनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सप्लाई, नॉन कनव्हेशनल पावर जनरेटर एंड इहनव्हर्टर, बेसिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. (इलेक्ट्रिशियन सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.</p>	
(52) टी. आई. जी./एम. आई. जी. वेलिडिंग फेब्रिकेशन (फिटिंग एंड वेलिडिंग सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फेब्रिकेशन/मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक या डिप्लोमा. (पॉलिटेक्नीक).</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.</p>	
(53) स्ट्रक्चरल प्रेसर्स पार्ट फिटिंग फेब्रिकेशन (फिटिंग एंड वेलिडिंग सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फेब्रिकेशन/मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक या डिप्लोमा. (पॉलिटेक्नीक)</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.</p>	
(54) स्ट्रक्चरल वेलिडिंग फेब्रिकेशन (फिटिंग एंड वेलिडिंग सेक्टर).	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फेब्रिकेशन/मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक या डिप्लोमा. (पॉलिटेक्नीक).</p> <p>2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(55)	प्रोसेस प्लांट मैकेनिकल एंड रिपेयरिंग इक्वूपमेंट. (प्रोसेस प्लांट) (मेटेनेंस सेक्टर).	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल में बी. ई./बी. टेक अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल में डिप्लोमा. (पोलीटेक्निक). 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(56)	प्रोसेस प्लांट रेफ्रिजरेशन एंड ऐयर कंडीशनिंग (प्रोसेस प्लांट मेटेनेंस सेक्टर).	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेफ्रिजरेशन एवं एयरकंडीशनिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से रेफ्रिजरेशन एवं एयरकंडीशनिंग/मैकेनिकल में डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(57)	प्रोसेस प्लांट इलेक्ट्रीकल इक्वूपमेंट मेटेनेंस एंड रिपेयरिंग (प्रोसेस प्लांट मेटेनेंस सेक्टर).	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(58)	बेसिक इन्स्ट्रूमेंशन (प्रोसेस प्लांट मेटेनेंस सेक्टर).	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल में डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष का एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(59)	बेसिक इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रानिक एंड कम्प्यूटर (प्रोसेस प्लांट मेटेनेंस सेक्टर).	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स में बी. ई./बी. टेक या डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों के लिये 2 वर्ष का एवं डिप्लोमा धारकों के लिये 4 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(60)	बेसिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन (प्रोसेस प्लांट मेटेनेंस सेक्टर).	18	35	1. बी. एस. सी. मेथ्स/बायोलॉजी (फिजिक्स केमेस्ट्री विषय के साथ). 2. संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(61)	इको टूरिज्म (टूरिज्म सेक्टर).	18	35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टूरिज्म में मास्टर डिग्री (उपाधि)/पी. जी. डी. टी. 2. संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(62)	टूर एंड ट्रेव्हल मैनेजमेंट (टूरिज्म सेक्टर)	18	35	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टूरिज्म में मास्टर डिग्री (उपाधि)/पी. जी. डी. टी. 2. संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(63)	टूरिज्म कान्सेप्ट एंड इम्पेक्ट (टूरिज्म सेक्टर)	18	35	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टूरिज्म में मास्टर डिग्री (उपाधि)/पी. जी. डी. टी. 2. संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(64)	इंडियन सोसायटी कल्चर एंड हिस्ट्री	18	35	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एनसेन्ट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में मास्टर डिग्री (उपाधि). 2. संबंधित क्षेत्र में 12 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(65)	कम्प्यूटर एप्लीकेशन एंड टूरिज्म इंडस्ट्री	18	35	1. 10+2 के शिक्षण प्रणाली से हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष. 2. अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस या कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/ डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) या डी. ओ. ई. से "ओ" लेवल सर्टिफिकेट या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. सी. ए. 3. संबंधित क्षेत्र में डिग्री (उपाधि) धारकों को छोड़कर शेष अभ्यर्थियों के लिये 03 वर्ष का अध्यापन/औद्योगिक अनुभव.
(66)	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के अन्तर्गत बी. बी. वी. टी. एवं एडवांश माड्यूल के लिये प्रशिक्षण अधिकारी.	18	35	महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली/सचिव राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् म. प्र. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव.
(67)	एन. सी. व्ही. टी./एस. सी. व्ही. टी. के तहत प्रारंभ किए गए नये व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण अधिकारी.	18	35	महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली/सचिव राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् म. प्र. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव.
(68)	इंजीनियरिंग ड्राइंग/गणित	18	35	1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं (गणित भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय लेकर) अथवा समकक्ष. 2. ड्राफ्ट्समेन मेकेनिकल ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक परिषद् से अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण या राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से डिग्री (उपाधि) डिप्लोमा. 3. ट्रेड से संबंधित कम से कम 3 वर्ष का अनुभव.

टीप.—समस्त प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड, ड्राइंग, गणित एलाइड) को डी. जी. ई. टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए. टी. आई/सी. टी. आई.) से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. जिन व्यवसायों में एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण नहीं होता है और जिन व्यवसायों में यह प्रशिक्षण होता है किन्तु प्रशिक्षण अधिकारी को पांच वर्ष का अनुभव हो गया है उन्हें डी. जी. ई. टी. के संस्थानों से तीन माह का प्रिसिपल्स ऑफ टीचिंग कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	प्रशिक्षण अधिकारी, हिन्दी स्टेनोग्राफी	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण. 2. म. प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड/अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनट गति से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं 25 शब्द प्रतिमिनट से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो. 3. कम से कम 5 वर्ष का अनुभव. 4. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान अनिवार्य.
3	प्रशिक्षण अधिकारी, अंग्रेजी स्टेनोग्राफी	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण. 2. म. प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड/अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनट गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं 30 शब्द प्रतिमिनट से अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो. 3. कम से कम 5 वर्ष का अनुभव. 4. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान अनिवार्य.
4	प्रशिक्षण अधिकारी, (भाषा हिन्दी)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एड. परीक्षा उत्तीर्ण.
5	प्रशिक्षण अधिकारी, (भाषा अंग्रेजी)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एड. परीक्षा उत्तीर्ण.
6	प्रशिक्षण अधिकारी, (सामाजिक अध्ययन)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. समाजशास्त्र/मनोविज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (उपाधि) 2. यद्यपि अनुभव अनिवार्य नहीं किन्तु अध्यापन कार्य में अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी.
7	प्रशिक्षण अधिकारी, (व्यापार प्रबंधन)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. बी. ए./एम. बी. ए./एम. कॉम, परीक्षा उत्तीर्ण.

नोट.—स. क्रमांक 2 से 7 के लिये डी. जी. ई. टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए. टी. आई./सी. टी. आई.) से तीन माह का प्रिसिपल्स ऑफ टीचिंग (Principles of Teaching) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा सकेगा.

8	छात्रावास अधीक्षक एवं व्यायाम अनुदेशक (होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट कम फिजीकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष 2. व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो.
---	--	----	----	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	मेन्टेनेंस मैकेनिक (मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल)	18	35	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष 2. मैकेनिकल के लिये (फिटर), मशीनिष्ट, टर्नर) तथा इलेक्ट्रीकल के लिये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक परिषद् से अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण या राष्ट्रीय शिक्षता परीक्षा उत्तीर्ण. 3. संबंधित ट्रेड में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव.
10	वाहन चालक लिपिकीय संवर्ग	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष 2. हल्के एवं भारी वाहन चलाने का लायसेंस रखता हो.
11	सहायक वर्ग-3	18	35	1. हायर सेकेन्डरी (10+2) के तहत बारहवी परीक्षा या उसके समतुल्य कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड मध्यप्रदेश से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये या समकक्ष 3. कम्प्यूटर संचालन का अनुभव एवं ज्ञान हो.
12	स्टेनो टायपिस्ट अलिपिकीय संवर्ग	18	35	1. हायर सेकेन्डरी (10+2) के तहत बारहवी परीक्षा या उसके समतुल्य कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड मध्यप्रदेश से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये या समकक्ष 3. स्टेनो टायपिस्ट के लिये शीघ्रलेखन का ज्ञान आवश्यक है. गति 60 शब्द प्रतिमिनट होना चाहिए. 4. कम्प्यूटर संचालन का अनुभव एवं ज्ञान हो.
13	कम्पाउन्डर	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान के साथ हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या समकक्ष 2. मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मैसी में डिप्लोमा. 3. फार्मैसी काउंसिल में पंजीयन. 4. औषधि संयोजक के रूप में कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव.
14	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान के साथ हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष 2. मेडीकल केन्द्र/संस्थान से 3 माह का पट्टी बंधक का कोर्स.
15	सिनेमा विडियो आपरेटर (वी. डी. ओ.)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से एप्लाइड विडियोग्राफी में डिप्लोमा.

अनुसूची "चार"

(नियम 14 देखिये)

मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम,- 2009

अनुक्रमांक (1)	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है. (2)	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है. (3)	पदोन्नति के लिये अपेक्षित अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (5)
1	प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, गणित, एलाइड).	प्रशिक्षण अधीक्षक/मिलरार्इट फोरमेन/ सहायक शिक्षु सलाहकार/तकनीकी सहायक/अधीक्षक.	5 वर्ष	1. अतिरिक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—सदस्य 3. सहायक संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.
2	कर्मशाला सहायक (चतुर्थ श्रेणी तकनीकी).	प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, गणित, एलाइड). टीप. —संबंधित व्यवसाय में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति दी जाएगी यदि कनिष्ठ कर्मचारी के व्यवसाय पद रिक्त है तो पात्रता अनुसार उसे वरिष्ठ से पूर्व पदोन्नति दी जा सकेगी.	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष 2. उप संचालक या उसके समकक्ष अधिकारी—सदस्य. 3. सहायक संचालक—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.
3	सहायक अधीक्षक/कार्यालय अधीक्षक/ वरिष्ठ आडीटर.	अधीक्षक संचालनालय/कनिष्ठ लेखाधिकारी/अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान.	5 वर्ष	1. अतिरिक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—सदस्य 3. सहायक संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.
4	सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक	सहायक अधीक्षक संचालनालय/ कनिष्ठ लेखाधिकारी/अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान.	5 वर्ष	1. अतिरिक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—सदस्य 3. सहायक संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	लेखापाल/अंकेषक/सहायक ग्रेड-2/भण्डारी.	सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक	5 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष 2. उप संचालक या उसके समकक्ष अधिकारी—सदस्य. 3. सहायक संचालक—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.
6	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल/आडीटर/भण्डारी.	5 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष 2. उप संचालक या उसके समकक्ष अधिकारी—सदस्य. 3. सहायक संचालक—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.
7	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक टीप.—स्टेनो टायपिस्ट की पदोन्नति के लिये अपेक्षित अर्हता राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन बोर्ड से शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उसकी हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट तथा मुद्रलेखन में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति होना चाहिए.	5 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष 2. उप संचालक या उसके समकक्ष अधिकारी—सदस्य. 3. सहायक संचालक—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चौकीदार, माली, भृत्य, स्वीपर इत्यादि)	सहायक ग्रेड-3 टीप.—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति के लिये वे कर्मचारी ही पात्र होंगे जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान है. पदोन्नति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी एवं हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी.	5 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष 2. उप संचालक या उसके समकक्ष अधिकारी—सदस्य. 3. सहायक संचालक—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.
9	पट्टी बंधक (ट्रेसर)	औषधि संयोजन	5 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष 2. उप संचालक या उसके समकक्ष अधिकारी—सदस्य. 3. सहायक संचालक—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी—सदस्य.

Bhopal, the 27th June 2009

No. f.1-7-2008-XLII-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the member of the Madhya Pradesh Industrial Training (Non-Gazetted) Class III Service, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Industrial Training (Non-Gazetted) Class III Services Recruitment Rule, 2009.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the “Madhya Pradesh Gazette”

2. **Definition.**— In these rule, unless the context otherwise requires,—

- (a) **“Appointing Authority”** means the authority as specified in column (6) of Schedule I.
- (b) **“Committee”** means a Departmental Promotion Committee or Selection Committee as specified in Schedule IV;
- (c) **“Director”** means Director, Directorate of Training, Madhya Pradesh.
- (d) **“Examination”** means the competitive examination for recruitment to the service under Rule 11.
- (e) **“Government”** means the Government of Madhya Pradesh.
- (f) **“Governor”** means the Governor of Madhya Pradesh.
- (g) **“Other Backward Classes”** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* Notification No.F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December , 1984 as amended from time to time;
- (h) **“Schedule”** means the schedule appended to these rules;
- (i) **“Scheduled Castes”** means any Caste, race or tribe or part of or group within a, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (j) **“Scheduled Tribes”** means any tribe, tribal community or part or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (k) **“Service”** means the Madhya Pradesh Industrial Training (Non-Gazetted) Service;
- (l) **“State”** means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**— The Service shall consist of the following persons, namely,—

- (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in Schedule-I.
- (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification Scale of Pay etc. (1).— The Classification, the number of post included in the service and the Scale of Pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I :

Provided that the Government, may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent or temporary basis.

6. Methods of Recruitment—(1) Recruitment to the Service, shall be made by the following methods, namely.—

(a) By competitive examination or by Interview or by both.

(b) By Promotion of the members of the Service as specified in column (2) of schedule IV.

(c) By transfer of persons holding substantively on such post in such service as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules the method or methods of filling any Particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority may, with prior concurrence of General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the service.— All Appointment in the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and so such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in Rule-6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.—In order to be eligible to competent at the Selection/ Examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely,—

(1) **Age.**— (a) (I) He must have attained the age as specified in Column (3) of Schedule III and not have attained the age specified in Column (4) of said Schedule on the first day of January next following the year in which Examination/Selection is to be held.

(II) No candidate shall be eligible for appointment in service or on post, if he/she has married before attaining the age fixed for marriage.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below,—

(i) A Candidate who is a permanent Government Servant shall not be more than 38 years of age.

(ii) A Candidate holding a temporarily post and applying for another post should not be more than 38 years of age. This Concession shall also be admissible to contingency paid employees, work charged employee and employees working under the project Implementing Committees.

- (iii) A Candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary Service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation .— The term “Retrenched Government Servant” denotes a person who was in temporary Government Service of the State or of any constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of recommendation of the economic unit or due to normal reduction in the establishment not more than three years prior to the date of his registration at any Employment Exchange or an application made otherwise for employment in Government Service .

- (iv) A Candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defiance service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term ”Ex- Serviceman“ denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a Continuous period of no less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in the establishment not more than three years before the date of his registration of any Employment Exchange or an application made otherwise for employment in Government service,—

- (1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions.
- (2) Ex-Serviceman enrolled for the Second time and discharged on,—
 - (a) Completion of Short-term engagement.
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment.
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract, including short Service Regular Commissioned Officers.
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
- (6) Ex-Serviceman invalided out of Service.
- (7) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
- (8) Ex-Serviceman who is medically, boarded out on account of Gun shot, wounds etc.
- (d) The Upper Age limit relaxation up to five years in respect of widow, Destitute and Divorced women candidates.
- (e) The Upper age limit shall be relaxable upto maximum two years in respect of those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare Programme.
- (f) The Upper Age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of an awarded superior caste of partner of a couple under the inter-cast marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Cast and Backward Classes Welfare Department.
- (g) The Upper Age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of the who are “Vikram Award” holder candidates.

- (h) The upper age limit shall be relaxable up to maximum 38 years of age in respect of candidates who are employee of Madhya Pradesh State Corporations / Boards.
- (i) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officer of home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.
- (j) The upper-age limit shall be relaxable in respect of Disabled candidate as determined by the Government time to time.
- (k) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to a women candidate in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (special provision for appointment women) Rules, 1997.

Note (1) Candidates, who are found eligible for examination/selection under the age concessions mentioned in sub- clause (i) and (ii) of clause (a) of sub-rule (1) above shall not be, eligible for appointment, if after submitting, The applications, they resign from Services either before or after the examination/selection. They shall, however, continues to be eligible, if they are retrenched from service or post after submitting the applications. Age limit shall not be relaxed any other case.

Note (2) The departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authorities to appear for Examination/Selection.

(2) Educational Qualifications.— A Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule III.

Provided that.—(a) In an exceptional case, the appointing authority may, on the recommendation of the Departmental Committee, treat as qualified any candidate, who, though not possessing any of the qualifications prescribed in this rule but has passed the examinations conducted by other institutions by such standard which in the opinion of the Appointing Authority justified the consideration of the candidate for examination/selection ; and:

(b) Candidate, who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities being universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination at the discretion of the Appointing Authority.

(3) Fees.— The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. Disqualification.— (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/her candidature, by any means may be treated by the Appointing Authority disqualification for appearing in the Examination / Selection/ Interview.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualify for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January 2001, in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment /promotion to a Service or post who has been held convicted of on offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of Appointment/Promotion shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

10. The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of a candidate shall be final.—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for Examination / Selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the Examination / Selection/Interview.

11. Direct recruitment through Examination / Selection.— (1) The examination for the recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority in consultation with Government determine, from time to time.

(2) There shall be reserved post for the candidates belonging to Scheduled Cast, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(3) There shall be reserved post for women candidates in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(4) In the process of filling vacancies of reserved, candidate who are the member of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes as considered by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others Backward Classes as the case may be.

(6) Reservation for Disabled persons shall be made in accordance with directions of general administration Department.

(7) There shall be reserved post for Ex-servicemen in accordance with as per order / direction of the Madhya Pradesh State General Administration department.

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing authority that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, Appointing authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Caste / Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.

(9) If sufficient number of candidate belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates without prior permission of the Government and vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for next selection

12. List of candidates recommended by the selection committee.—(1) The selection committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the selection committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who, though not qualified by that standard, but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the Administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies for the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list, issued by the Selection Committee shall be legally valid for one year from the date of its issue.

13. Probation.— Every person, directly recruited to the service, shall be appointed on a probation for a period of two year's.

14. Appointment by promotion.—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members as mentioned in Schedule- IV, for making a selection for promotion of eligible candidates :

Provided that if the nominated members other than the member presiding the Departmental Promotion Committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Category of the same status shall be included in the departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of the members of service specified in column (2) of Scheduled-IV to the posts as specified in column (3) thereto , the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be made in accordance with the provision as specified in Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) **Certification of the appointing authority :** Appointing Authority shall on every promotion order to be issued by him, shall make endorsement a certificate to the effect that he has complied with the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon or Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instruction issued keeping in view the provision of the said act and rules made by the state Government and that he has full cognizance of the provisions sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

(4) The Departmental promotion committee shall meet at such intervals as the appointing authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. Conditions of eligibility for Promotion .—(1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in Column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.—Manner of computation for eligibility for promotion Period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year, in which the public servant has joint the feeder cadre / part of service/pay scale of the post and not from the date of joining the cadre / part of service /pay scale of the post.

(2) For the Zone of consideration for promotion, the provisions of Madhya Pradesh Public Service (promotion) Rules, 2002 shall apply.

16. Preparation of the list of suitable candidates.—(1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the selection list. A reserved list consisting of 25 percent of the number of persons included in the said select list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The names of person included in the select list shall be arranged in the order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation .—A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed or revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Select List.—(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee at the changes proposed and after taking in to account the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion to be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in Column (2) of Scheduled - IV to the posts mentioned in Column (4) of said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the committee may, if it thinks fit remove the name of such person from the select list.

18. Appointment in the Service from the select list.— Appointment of the persons included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the orders in which the names of such persons appear in the select list.

19. Probation.—Every person appointed to the service by promotion shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision there on shall be final.

21. Relaxation.— Nothing in these rules shall be constructed to limit or a bridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and Saving.—The Madhya Pradesh Industrial Training (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules 1988 is hereby repealed :

Provided that any order made any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE—I

(See Rule 5)

M.P.INDUSTRIAL TRAINING (NON-GAZETTED) CLASS III SERVICE RECRUITMENT RULE, 2009

S.No	Name of Post Directorate + Tribal+Gas	No.of posts	Classi- fication	Scale of Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

TECHNICAL/ NON TECHNICAL CADRE :

1	Superintendent (Woman Industrial Training Institute/ Industrial Training Institute)/ Training Superintendent/Jr. App. Advisor/Head of Institute/Mill Wright Foreman/Technical Asstt. for Directorate.	223	Class III	Rs. 5500-175-9000	Add. Director Directorate of Training M. P.
2	Training Officer (Steno) Hindi & English	88	Class III	Rs. 5500-175-9000	Joint Director Directorate of Training/Joint Directorate Regional Office M. P.
3	Training Officer (Language) Hindi & English	77	Class III	Rs. 5000-150-8000	—do—
4	Training Officer (Business Management).	02	Class III	Rs. 5000-150-8000	—do—
5	Training Officer (Trade Engineering Drawing, Mathematics, Allied).	568+1099=1667	Class III	Rs. 5000-150-8000	—do—
6	Training Officer (Social Studies).	34	Class III	Rs. 5000-150-8000	—do—
7	Maintenance Mechanic	16	Class III	Rs. 3500-80-4700-100-5200.	—do—
8	Cinema Video Operator (V. D. O.).	01	Class III	Rs. 4000-100-6000	—do—

NON-MINISTERIAL CADRE :

9	Hostel Superintendent-Cum-Physical Training Instructor.	18	Class III	Rs. 4000-100-6000	—do—
10	Vehicle Driver	42	Class III	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Joint Director Directorate of Training/Joint Director Regional Office M. P.
11	Compounder	59	Class III	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	—do—
12	Dresser	23	Class III	Rs. 2750-70-3800-75-4400.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MINISTRIAL CADRE :					
13.	Superintendent/ Jr. Account Officer Directorate/Industrial Training Institute.	05	Class III	Rs. 5500-175-9000	Additional Director Directorate of Training M. P.
14.	Stenographer	10	Class III	Rs. 4500-125-7000	Joint Director Directorate of Training/Joint Director Regional Office M. P.
15	Asstt. Superintendent/Office Superintendent/Senior Auditor Directorate/Industrial Training Institute.	17	Class III	Rs. 4500-125-7000	—do—
16	Asstt. Grade I/Head Clerk	72	Class III	Rs. 4500-125-7000	—do—
17	Asstt. Grade II/Accountant/ Auditor/Store Keeper	306	Class III	Rs. 4000-100-6000	—do—
18	Asstt. Grade III	253	Class III	Rs. 3050-75-3950- 80-4590.	—do—
19	Steno Typist	10	Class III	Rs. 3050-75-3950- 80-4590. +125 Special Pay.	—do—

SCHEDULE—II*(See Rule 6)***M.P. INDUSTRIAL TRAINING (NON-GAZETTED) CLASS III SERVICE RECRUITMENT RULE 2009**

S.No.	Name of the service or post included in the service	Total No. of posts	No. of posts to be filled		By Deputation or Transfer from other service [See Rule 6.1 (C)]	Remarks
			By direct Recruitment [See Rule 6 (a)]	By promotion of members of service [See Rule 6(b)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

TECHNICAL/NON TECHNICAL CADRE :

1	Superintendent (Woman Industrial Training Institute/ Industrial Training Institute), Training Superintendent/Jr. Apprentice Advisor/Head of Institute/Mill Wright Foreman/Technical Asstt. for Directorate.	223	-	* 75+25 Percent	-	Please see foot note from 1 to 3.
2	Training Officer Steno (Hindi & English).	88	100 percent	-	-	Single Cadre
3	Training Officer Language (Hindi & English).	77	100 percent	-	-	Single Cadre

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Training Officer (Business Management).	02	100%	-	-	Single Cadre
5	Training Officer (Trade Engineering Drawing, Mathematics, Allied).	568+1099=1667	85%	15%	-	
6	Training Officer Social Studies.	34	100%	-	-	Single Cadre
7	Cinema Video Operator (V. D. O)	01	100%	-	-	Single Cadre
8	Maintenance Mechanic	16	100%	-	-	Single Cadre
9	Hostel Superintendent Com. Physical Training Instructor.	18	100%	-	-	Single Cadre
10	Driver	42	100%	-	-	Single Cadre
11	Compounder	59	75%	25%	-	
12	Dresser	23	100%	-	-	
13	Superintendent/ Jr. Account Officer Directorate/Industrial Training Institute.	05	-	100%	-	
14	Stenographer	10	-	100%	-	
15	Asstt. Supdt./Office Supdt./ Sr. Auditor.	17	-	100%	-	
16	Asstt. Grade I/Head Clerk	72	-	100%	-	
17	Asstt. Grade II. Accountant, Auditor, Store Keeper.	306	-	100%	-	
18	Asstt. Grade III	253	75%	25%	-	25% shall be filled by Class IV Employees who have passed HSC (10+2) or 11th equivalent thereto and have 5 years experience.
19	Steno Typist	10	100%			

Foot Note.—

- * (1) 25% post of Training Supdt. can be filled by Training Officer's of (Trades, Engg. Drawing, Mathematics, Allied) who have obtained degree or diploma in Engineering trade from Recognized University or Board & have 5 years experience in feeding cadre.
- (2) In case, if the candidates of S. No. 1 are not available, the vacancies can be filled from the seniority list of feeding cadre of Non Diploma/Degree Holders. In the same way, if the candidate of Diploma/Degree Holders are more than vacancies, to be filled, the remaining candidate can be promoted with the candidate of Non Dipoma/Degree Holders from combined seniority list of feeding cadre.
- (3) The seniority of promoted training Superintendent will be according to the seniority of the feeding cadre.

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

M.P.INDUSTRIAL TRAINING (NON-GAZETTED) CLASS III SERVICE RECRUITMENT RULE, 2009

S.No	Name of Service or post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. TRAINING OFFICER (TRADE) ENGINEERING DRAWING, MATHEMATICS.				
(1)	Draughtsman Mechanical Tool and Die Maker, Fitter, Machinist (Grinder) machinist (Composite), Pattern Maker, Turner, Black Smithy (Forger Heat Treater), Carpenter, Molder, Sheet Metal Welder.	18	35	<ol style="list-style-type: none"> High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Mechanical Production and Manufacturing Engineering from recognized University or Board. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(2)	Draughtsman Civil, Surveyor, Mason (Building Constructor), Painter General Plumber, Building Maintenance, Sanitary Hardware Fitter.	18	35	<ol style="list-style-type: none"> High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Civil Engineering from recognized University or Board. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(3)	Electrician, Wireman, Electro Plater	18	35	<ol style="list-style-type: none"> High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Electrical Engineering from recognized University or Board. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(4)	Farm Mechanic, Mechanic (Motor Vehicle), Mechanic (Diesel) Mechanic (Tractor) mechanic, Agriculture Machinery, Driver-cum-Mechanic.	18	35	<ol style="list-style-type: none"> High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Automobile Engineering from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p> <p>4. Licence of Light Motor Vehicle essential.</p>
(5) Electronics Mechanic, Mechanic (Radio & Television)	18	35		<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Electronics/Electronics & Telecommunication Engineering from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(6) Refrigeration & Air Conditioner Mechanic	18	35		<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Refrigeration & Air Conditioning Engineering from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(7) Instrument Mechanic, Watch & Clock Repairs, Mechanic Machine Tools Maintenance.	18	35		<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Instrumentation/Industrial Engineering from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(8) Auto Electrical & Electronics Mechanic.	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Electrical & Electronics Engineering from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field. 	
(9) Mechatronics	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Mechatronics from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field. 	
(10) Information Technology and Electronics System Maintenance.	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Information Technology / Computer Science/Computer Science & Engineering from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field. 	
(11) Mechanic Industrial Electronics	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Degree/Diploma in Industrial Electronics/ Instrumentation from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(12) Operator Advance Machines & Tools	18	35		<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Tool and Die Making/ Mechanical/Production Engineering from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(13) Lift Mechanic	18	35		<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Electrical/Mechanical in Engineering from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(14) Architectural Assistant	18	35		<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Architectural Engineering from recognized University or Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(15) Plastic Processing Operator	18	35		<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent..</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Degree/Diploma in Plastic Technology from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(16)	Computer Operator Programming Assistant (COPA), Desk Top Publisher Data Entry Operator, Basic Computer of (Electronic Sector), Basic Computer Operating skill and ITS application (Electrician Sector).	18	35	1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed Degree/ Diploma in Computer Science and Engineering or 'O' level certificate from D. O. E. or B. C. A. from recognized University/Board. 3. The Candidate should have at least 2 years. Experience of Degree/Diploma holders. Other candidates should have at least 3 years. Experience in trade Relevant Field.
(17)	Computer Hardware Mechanic	18	35	1. 10+2 Higher Secondary Education System or its equivalent from any recognized board. 2. The Candidate should have passed the Degree/ Diploma in Computer Science or Computer Science & Engineering or Electronics or Electronics & Telecommunication or Instrumentation from Recognized University. 3. The candidate should have at least 3 years. Experience in trade Relevant Field.
(18)	Cutting & Sewing, Dress Making	18	35	1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Costume Design and Dress Making/Garment Technology from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(19)	Hospital House Keeping	18	35	1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Public Health/Bio-Sc./ Physiology/Nursing from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(20)	Corporate House Keeping, Institution House Keeping, Domestic House Keeping.	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Hotel Management from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(21)	Dairying	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed Degree/ Diploma in Dairy Technology/Vetneary Science and Animal Husbandry from recognized University/Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(22)	Tourist Guide	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Tourism from recognized University/Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(23)	Health Sanitary Inspector	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Public Health/ Bio-Se. from recognized University/Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(24)	Dental Laboratory Technician	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				or Degree/Diploma in Dental from recognized University/Board.
				3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(25)	Medical Transcription	18	35	<p>1. Passed 12th (10+2) from English medium with Biology from recognized board or equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Diploma in Computer application from recognized University/Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(26)	Horticulture, Florist & Landscaping	18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Horticulture Articulate or Agriculture from recognized University of Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(27)	Library and Information Science	18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Library and Information Science from recognized University/Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(28)	Old Age Care	18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree or Diploma in Physiology/ Nursing from recognized University/Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(29)	Network Technician	18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>pass from any recognized Board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Electronics/Computer Application from recognized University/Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(30) Creche Management		18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Montessori Training/ Social from recognized University/Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(31) Digital Photographer		18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Photography from recognized University/Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(32) Fashion Technology		18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Fashion Technology from recognized University/Board.</p> <p>3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.</p>
(33) Front Office Assistant		18	35	<p>1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent.</p> <p>2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Hotel Management/from recognized University/Board.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(34)	Interior Decoration & Designing	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Civil/Architectural Assistant/Interior from recognized University/Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(35)	Leather Goods Maker	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in the trade concerned from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(36)	Secretarial Practice	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Modern Office Management from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(37)	Printing Technician/ Litho Offset Machine Minder	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized Board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in the Printing Technology from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
(38)	Repair and Maintenance of Hardware of Computer and Peripherals (Information Technology Sector)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degree or Diploma (Polytechnic) in Electronics/ Electronics Telecommunication/Electrical & Electronics from Recognized University/Board

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. 2 years compulsory experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial experience for Diploma Holders.
(39)	Computer Networking, Multi Media and web page designing (Information Technology Sector)	18	35	1. B. E. /B. Tech in Information Technology from recognized University or Diploma (Polytechnic) in Information Technology from recognized University or Board. 2. 2 years compulsory experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial experience for Diploma Holders.
(40)	Basic Office Automation (Information Technology Sector)	18	35	1. B. E /B. Tech or Diploma (Polytechnic) in Computer Science or Information Technology from recognized University/Board or M. C. A. 2. 4 years compulsory experience in relevant field for Diploma Holders and 2 years Teaching/Industrial experience for other.
(41)	Fruits and Vegetable Processing, Bakery and Confectionary, Milk and Dairy Product, Process Food (Food Processing Sector)	18	35	1. M. Sc. in Food Processing/Food Technology from recognized University/Board or B. Tech. or Diploma (Polytechnic) in Food Processing Technology. 2. 2 years experience in relevant field for Degree/ M. Sc. Holders and 4 years Teaching/Industrial experience for Diploma Holder.
(42)	Servicing and overhauling of Automobiles (Diesel), Overhauling of Fuel Injection System and steering, Auto Electrical and Air Conditioning in Automobiles. (Automobiles Sector)	18	35	1. Degree in Automobile Eng. from recognized University or Diploma (Polytechnic) in Automobile Eng. from recognized University/Board. 2. 2 years Compulsory Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial experience for Diploma Holder.
(43)	Basic of Transmission, Suspension, Steering system and brakes. (Automobiles Sector)	18	35	1. Degree in Automobile Eng. from recognized University or Diploma (Polytechnic) in Automobile Eng. from recognized University/Board. 2. 2 years Compulsory Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial experience for Diploma Holders.
(44)	Basic Microprocessor and Computer Operation. (Automobiles Sector)	18	35	1. Degree in Electronic/Electronic Telecommunication/Electrical and Electronics Engg. from recognized University or Diploma in Electronic/Electronic Telecommunication/ Electrical and Electronics Engg. from recognized University or Board. 2. 2 years Compulsory Teaching /Industrial Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holder.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(45)	Computer Aided Pattern making, Fashion Technology, Shirts Trousers (Apparel Sector)	18	35	1. Degree in concern trade from recognized University or Diploma (Polytechnic) in relevant trade from recognized University/Board. 2. 2 years Compulsory Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holder.
(46)	Inverters, UPS, Voltage Stabilizers and Industrial Drives, Embedded System and PLC, Basic Analog Electronics, Parabolic digital Electronics (Electronics Sector)	18	35	1. Degree or Diploma in Electronic/Electronics Telecommunication/Electrical and Electronics Engg. from recognized University 2. 2 years. Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(47)	Repair and Maintenance of Harvesting Machine, Repair Maintenance and over hauling of Tractor, repair maintenance of post harvesting machine processing machine (Agriculture Sector)	18	35	1. Degree in Agriculture Engg. from recognized University or Diploma in Agriculture Engg. from recognized University/Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holder.
(48)	Concrete Technology Manufacturing Wood Work in Construction Farm work and Bar Bending (Construction and wood working)	18	35	1. Degree in Civil Engg. from recognized University or Diploma in Civil Engg. from recognized University/Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(49)	Basic Architecture (Construction and wood working)	18	35	1. Degree in Architecture Engg. from recognized University or Diploma in Architecture. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(50)	Domestic Commercial Refrigeration and Air Conditioning, Central Air Conditioning Plant, Cooling and Package, Cold Storage Ice Plant and Ice Candy Plant, Basic Refrigeration III. Basic Refrigeration IV (Refrigerator Air Conditioner)	18	35	1. B. E./B. Tech. in Refrigeration and Air Conditioning/Mechanical Engg. from recognized University or Diploma in Refrigeration and Air conditioning/Mechanical Engg. from recognized University or Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(51)	Operation and Maintenance of Equipments used in substation & Cable Joining, Repair & Maintenance of Electrical Machine & Power supply. Non Conventional Power Generator and Inverter, Basic Power Generation Transmission and Distribution (Electrician Sector)	18	35	1. B. E./B. Tech. in Electrical Engg. from recognized University or Diploma in Electrical Engg. from recognized University or Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(52)	TIG/MIG Welding Fabrication (Fitting & Welding Sector).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. B. E./B. Tech. or Diploma (Polytechnic) in Fabrication/Mechanical/Production Engg. from recognized University. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(53)	Structural Pressure Parts Fitting Fabrication. (Fitting & Welding Sector).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. B. E./B. Tech. or Diploma (Polytechnic) in Fabrication/Mechanical/Production Engg. from recognized University. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(54)	Structural Welding Fabrication (Fitting & Welding Sector).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. B. E./B. Tech. or Diploma (Polytechnic) in Fabrication/Mechanical/Production Engg. from recognized University. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(55)	Processes Plant Mechanical and Repairing Equipment (Processes Plant Maintenance Sector).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. B. E./B. Tech. Mechanical from recognized University or Diploma (Polytechnic) in Mechanical from recognized University/Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(56)	Processes Plant Refrigeration and Air Conditioning. (Processes Plant Maintenance Sector).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degree in Refrigeration and Air Conditioning/ Mechanical Engg. from recognized University or Diploma (Polytechnic) in Refrigeration and Air conditioning/Mechanical Engg. from recognized University/Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(57)	Processes Plant Electrical Equipment Maintenance and Repairing (Processes Plant Maintenance Sector).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. B. E./B. Tech. in Electrical Engg. from recognized University or Diploma in Electrical Engg. from recognized University or Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(58)	Basic Instrumentation (Processes Plant Maintenance Sector).	18	35	1. B. E./B. Tech. in Mechanical Engg. from recognized University or Diploma (Polytechnic) in Mechanical from recognized University/Board. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(59)	Basic Electrician, Electronic and Computer (Processes Plant Maintenance Sector).	18	35	1. B. E./B. Tech. or Diploma (Polytechnic) in Electrical and Electronic from recognized University. 2. 2 years Experience in relevant field for Degree Holders and 4 years Teaching/Industrial Experience for Diploma Holders.
(60)	Basic Laboratory Technician (Processes Plant Maintenance Sector).	18	35	1. B. Sc. Math/Biology (with Physics, Chemistry subjects). 2. 2 years Teaching Experience in Relevant Field.
(61)	Ecotourism (Tourism Sector).	18	35	1. Master Degree/P. G. D. T. in Tourism from Recognized University. 2. 2 years Teaching/Industrial Experience in Relevant Field.
(62)	Tour and Travel Management (Tourism Sector).	18	35	1. Master Degree/P. G. D. T. in Tourism from Recognized University. 2. 2 years Teaching/Industrial Experience in Relevant Field.
(63)	Tourism Concepts & Impact (Tourism Sector).	18	35	1. Master Degree/P. G. D. T. in Tourism from Recognized University. 2. 2 years Teaching/Industrial Experience in Relevant Field.
(64)	Indian Society, Culture and History	18	35	1. Master Degree in Ancient History. Culture and Archeology from Recognized University. 2. 2 years Teaching/Industrial Experience in Relevant Field.
(65)	Computer Application & Tourism Industry.	18	35	1. 10+2 Higher Secondary Education System or its equivalent. 2. The Candidate should have passed Degree/ Diploma in Computer Science or Computer Science and Engineering or 'O' level Certificate from D. O. E. or B. C. A. from Recognized University/Board.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. With the exception of Degree Holders. Other candidates should have at least 3 years Experience in the Relevant trade.
(66)	T. O's for Center of Excellence in B. B. V. T. and advanced Module.	18	35	The Candidate should have required necessary educational qualification/technical qualification and experience in relevant field as specified by DGET New Delhi/SCVT MP.
(67)	T. O's for New Trades under the N. C. V. T. and S. C. V. T.	18	35	The Candidate should have required necessary educational qualification/technical qualification and experience in relevant field as specified by DGET New Delhi/SCVT MP State council for Vocational Training.
(68)	Engg. Drawing/Math's	18	35	1. High School Certificate or in old pattern 11th pass from any recognized board or equivalent. (with Math's Physics, Chemistry subjects). 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in Draughtsman Mechanical or Degree/Diploma in Mechanical Engg. from recognized University/Board. 3. At least 3 years concerned trade experience.

Note :— It will be Compulsory to pass One Year's Training Course from Advanced Training Institute / Central Training Institute from DGE&T to all the T.O's (Trade , Engineering Drawing , Math's, Allied). In those trades in which One year's course is not available, and in those trade where One year's course is available but the Trade T.O's concerned have completed 5 years of services. they must have to pass only Principle of Teaching Course of 3 months from Advanced Training Institute/ Central Training Institute / DGE&T, otherwise they will not be entitled for further promotion & increment.

2	Training Officer (Shorthand Hindi)	18	35	1. Should have passed Graduation from recognized University. 2. Should have passed Shorthand Hindi (100 W.P.M.) and Hindi Typing (25 W.P.M.) from M.P. Board of Shorthand & Typing or National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training. 3. At least 5 Years experience. 4. Should have knowledge in computer operation.
---	------------------------------------	----	----	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Training Officer (Shorthand English)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Should have passed Graduation from recognized University. 2. Should have passed Shorthand English (100 W.P.M.) and English Typing (30 W.P.M.) from M.P. Board of Shorthand & Typing or National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training. 3. At least 5 Years experience. 4. Should have knowledge in computer operation.
4	Training Officer (Language Hindi)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Should have passed Graduation from recognized University with Hindi Literature. 2. Should have passed B. Ed. from recognized University.
5	Training Officer (Language English)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Should have passed Graduation from recognized University with English Literature. 2. Should have passed B. Ed. from recognized University.
6	Training Officer (Social Studies)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Should have passed Graduation in Sociology Or Psychology from recognized University. 2. Experience not compulsory but candidate having experience will be given preference.
7	Training Officer (Business Management)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. B.B.A/M.B.A/M.Com. Passed from recognized University.
<p>Note.— Training Officer's under S.No.2-7 must pass the principles of teaching exam (Advanced Training Institute / Central Training Institute) from D.G.E.T. If the above mentioned exam is not cleared they shall not be entitled for promotion or increment.</p>				
8	Hostel Superintendent Cum P. T. I.	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School from any recognized Board or Equivalent. 2. Diploma in Physical Training or Graduate from recognized University.
9	Maintenance Mechanic (Mechanical Electrical.).	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School or Equivalent. 2. For Mechanical Fitter, Machinist, Turner and for Electrical Electrician Trade Should have passed NATIONAL TRADE CERTIFICATE/ STC from NCVT/SCVT or NAC from NCVT. 3. At least 2 years experience in the mentioned trade.
10	Driver	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School from any recognized board or Equivalent. 2. Should have driving license of heavy and light vehicle.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CLERICAL GRADE				
11	Asstt. Grade III	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 10+2 Higher Secondary Education System Or its Equivalent. Should have passed Hindi Typing from (Shorthand & Typing) M.P. Board. Should have knowledge in Computer Operation.
12	Steno Typist	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 10+2 Higher Secondary Education System Or its Equivalent. Should have passed Hindi Typing from M.P. Board. Steno Typist should have knowledge of Shorthand and should have passed Stenography at 60 w.p.m.
NON CLERICAL GRADE				
13	Compounder	18	35	<ol style="list-style-type: none"> Should have passed Higher Secondary with Physics, Chemistry and Biology from any recognized board or Equivalent. Diploma in Pharmacy from recognized Institute. Registration in Pharmacy Council. 3 Yrs. experience as Compounder at least.
14	Dresser	18	35	<ol style="list-style-type: none"> Should have passed Higher Secondary with Physics, Chemistry and Biology from any recognized board or Equivalent. 3 Months course from Medical Center/Institute.
15.	Cinema Video Operator (V. D. O.)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> High School Exam. from any recognized board or Equivalent. Diploma in applied Videography from recognized University or Board.

SCHEDULE-IV*(See Rule 14)***M.P.I. T. (NON-GAZETTED) CLASS III SERVICE RECRUITMENT RULES 2009**

S.No	Name of Service or post to promotion	Experience for promotion	Name of Service of post of promotion	Members of Committee Departmental Promotion and Appointment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Training Officer (Trade/Engineering Drawing, Mathematics, Allied)	5 years	Training Supdt./Mill wright Foreman. Asstt. Apprentice Advisor/Technical Asstt./ Superintendent.	<ol style="list-style-type: none"> Add. Director—Chairman Joint Director—Member Asstt. Director—Member S/C, S/T Cadre Officer—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Workshop attendant (Class-IV Tech.)	5 years	Training Officer (Trade/ Engineering, Drawing/Math's Allied). Note.—Promotion will only be given if post are vacant In case post are vacant in some rade where the Jr. can be promoted even it a senior of another trade is time.	1. Joint Director—Chairman 2. Dy. Director or Equivalent Officer—Member. 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer— Member.
3	Asstt. Superintendent/ Office Supdt./Sr. Auditor	5 years	Superintendent Directorate/ Jr. Account Officer/ Supdt. I. T. I	1. Add. Director—Chairman 2. Joint Director—Member 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer— Member.
4	Asstt. Grade I/Head Clerk	5 years	Asstt. Supt. Directorate/Jr. Account Officer/Superintendent I. T. I.	1. Add. Director—Chairman 2. Joint Director—Member 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer— Member.
5	Accountant/Auditor/ Assistant Grade-II/ Store Keeper.	5 years	Asstt. Grade -I/Head Clerk	1. Joint Director—Chairman 2. Dy. Director or Equivalent Officer— Member 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer— Member.
6	Asstt. Grade-III	5 years	Asstt. Grade-II Accountant/ Auditor/Store Keeper.	1. Joint. Director—Chairman 2. Dy. Director or Equivalent Officer —Member 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer— Member.
7	Steno typist	5 years	Note.—Stenographer qualification required for promotion are the Steno Typist should pass the National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training/ (Shorthand) M. P. Board Exam. He should have the speed of 100 w.p.m. (Shorthand Hindi) 25 w.p.m. Typing.	1. Joint Director—Chairman 2. Dy. Director or Equivalent—Officer— Member 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer— Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Class IV (Choukidar/ Gardener/Peon/Sweeper)	5 years	Asstt. Grade III Qualification required for promotion to Class IV are. They should have passed Higher Secondary and should have knowledge in Computer. They shall have 2 years probation during which they should pass Hindi Typing & should have General Computer knowledge.	1. Joint. Director—Chairman 2. Dy. Director or Equivalent Officer—Member 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer—Member.
9	Dresser	5 years	Compounder	1. Joint. Director—Chairman 2. Dy. Director or Equivalent—Officer—Member 3. Asstt. Director—Member 4. S/C, S/T Cadre Officer—Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.